प्रेस नोट जनपद रामपुर दिनांक 30-09-2021

twitter-@rampurpolice FB-रामपुर पुलिस Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना सिविल लाईन:- जौहर लैन मौ0 खटकान में एक घर से चोरी किये गये कीमती आभूषण व नकदी के साथ 01 अभि0 व 01 महिला अभि0 गिरफ्तार-

दिनांक 23-09-2021 को वादी श्री दावर खां पुत्र श्री मुजफ्फर खां नि0 ग्राम जौहर लैन मौ0 खटकान थाना सिविल लाइन, रामपुर के घर से अज्ञात चोर द्वारा जेवर व कैस चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन पर मु0अ0सं0-311/21 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

आज दिनांक 30-09-2021 को थाना सिविल लाईन, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में आये 01 अभि0 व 01 महिला अभि0 को बरेली गेट तिराहे से पनवडिया रोड पर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से वादी श्री दावर खां के घर से चोरी किया गया सामान बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता-

01-रफी मौहम्मद पुत्र बाबू खां निवासी पंखेवालान पीपल वाली ज्यारत थाना कोतवाली, रामपुर।

02-श्रीमती नरगिस पत्नी बाबूराम निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

01- दो अद्द कंगन पीली धातु,

02- एक जोडा टॉप्स कान के पीली धातु,

03- दो अद्द हार गले के पीली धातु,

04- 1950 रुपये नकद।

कार्यवाही-

मु0अ0सं0-311/21 धारा 380,411 भादवि

थाना गंज:-5.70 ग्राम स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 30-09-2021 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा यासीन पुत्र नन्हा उर्फ खूनी निवासी मौहल्ला बजरिया खानसामा थाना गंज, रामपुर (उम्र करीब 27 वर्ष) को बिलासपुर गेट से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 5.70 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

यासीन पुत्र नन्हा उर्फ खूनी निवासी मौहल्ला बजरिया खानसामा थाना गंज, रामपुर।

बरामदगी-

5.70 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद।

आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0-308/2018 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना गंज, रामपुर।

02- मु0अ0सं0-399/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंज, रामपुर।

03- मु0अ0सं0-489/2019 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना गंज, रामपुर।

04- मु0अ0सं0-494/2019 धारा 10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना गंज, रामपुर।

05- मु0अ0सं0-495/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंज, रामपुर।

06- मु0अ0सं0-592/2017 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गंज, रामपुर।

कार्यवाही-

मु0अ0सं0-347/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली थाना गंज पुलिस टीम-

01- उ0नि0 लईक अहमद,

02- का0 1003 शेखर कुमार,

03- का0 922 अंकुर चौहान।

थाना स्वार:-धोखाधडी करने वाले 02 अभियुक्तगण को पकडा-

वादी श्री पवन पुत्र श्री रवि कुमार निवासी जालफनंगला थाना स्वार, रामपुर के साथ दो माह पहले एसबीआई ब्रान्च स्वार में दो लडकों ने पैसों की हेरा-फेरी करके धोखाधडी कर ली थी। दिनांक 29-09-2021 को वादी श्री पवन उपरोक्त द्वारा वहां मौजूद लोगों की मद्द से उन दोनों लडकों को एसबीआई ब्रान्च स्वार से पकड लिया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु थाना स्वार पर ले आये। इस सम्बन्ध में थाना स्वार मु0अ0सं0-480/21 धारा 420,417 भादवि पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- हनी वर्मा पुत्र प्रेम वर्मा निवासी कमला विहार वार्ड नं0-2 पीतल नगरी, मुरादाबाद।

02- धनु कुमार पुत्र सिपाही राय निवासी ग्राम बगाही थाना सारन जनपद छपरा (बिहार) हाल पता- लाईनपार निकट विकास नगर, मुरादाबाद।

थाना बिलासपुर:- मोबाइल छीनने का प्रयास करने वाले दोनों अभियुक्तगण गिरफ्तार-

प्रिन्सपाल सिंह पुत्र पलवेन्द्र सिंह तथा प्रमोद कुमार पुत्र चिरंजीलाल निवासीगण ग्राम बेगमाबाद थाना खजुजिया, रामपुर द्वारा सडक पर जाते समय वादिनी श्रीमती प्रीती का मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया था जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29-09-2021 को थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0-363/21 धारा 393 भादवि पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 30-09-2021 को थाना बिलासपुर पुलिस द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तगण को टाण्डा हुरमतनगर मजार के सामने से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना शहजादनगर:- पैसों के लेन-देन को लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचे से फायर कर घायल कर देने के मामले में वांछित चल रहा अभियुक्त 01 अद्द नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार-

फुरकान पुत्र निसार अहमद उर्फ बेचा निवासी ग्राम दबका थाना शहज़ादनगर, रामपुर आदि 09 अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर अवैध असलाहों से लैस होकर वादी श्री गुलाम नवी पुत्र श्री मौ0 नवी निवासी दबका थाना शहजादनगर के घर में घुसकर पैसों के लेन-देन को लेकर तमंचे से फायर करने एवं वादी श्री गुलाम नवी के पुत्र दानिश व शाकिर को गोली मारकर घायल कर देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना शहजादनगर पर मु0अ0सं0-116/21 धारा 147,148,149,452,307,506 भादवि बनाम फुरकान आदि 09 नफर पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 30-09-2021 को थाना शहजादनगर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहे एक और अभियुक्त इरशाद पुत्र निसार अहमद उर्फ बेचा निवासी दबका थाना शहजादनगर, रामपुर को ग्राम दबका तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज चाकू बरामद हुआ। इस सन्बन्ध में थाना शहजादनगर पर मु0अ0सं0-224/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सैफनी:-चोरी के 02 बैटरों के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

अज्ञात चोर द्वारा वादी श्री छोटे पुत्र श्री इमामुद्दीन निवासी मौ0 मदरसा मार्केट कस्बा व थाना सैफनी, रामपुर के ई-रिक्शा के 02 बैटरे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29-09-2021 को थाना सैफनी पर मु0अ0सं0-41/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 30-09-2021 थाना सैफनी, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण को बूढा गेट से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी किये 02 बैटरे बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- नाजिम पुत्र अब्दुल हसन,

02- अनिल पुत्र अतर सिंह निवासीगण मौ0 ईदगाह नई बस्ती निकट पुरानी करबला कस्बा व थाना सैफनी, रामपुर।

बरामदगी-

चोरी किये हुए 02 बैटरे बरामद।

कार्यवाही-

मु0अ0सं0-41/21 धारा 379,411 भादवि।

थाना सिविल लाईन:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 30-09-2021 को थाना सिविल लाईन, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त राजेश पुत्र छेदालाल निवासी ज्वालानगर थाना सिविल लाईन, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।